

भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेल भर्ती सेल, मध्य रेल
सीपीएम कंसर्न कार्यालय बिल्डिंग, पी डी मेलो रोड, वाडीबंदर
मुंबई – 400 010

रोज़गार सूचना संख्या आरआरसी/सीआर01/2026 दिनांक 15/07/2026

खेल कोटे के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए भर्ती हेतु खुला विज्ञापन

1. मध्य रेल, वर्ष 2026-2027 के लिए स्पोर्ट्स कोटा के ग्रुप 'सी' के 21 पदों और लेवल – 1 ग्रुप 'डी' के 38 (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी') पदों को भरने के लिए योग्य खिलाड़ीयों से, जो भारत के नागरिक हैं, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। ये पद बिन समुदायिक आधार पर सभी के लिए खुले हैं। एससी/एसटी/ओबीसी/इडब्लूएस के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसके अलावा, केवल ट्रायल में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।

अनुसूची

ऑनलाइन आवेदन खुलने की तारीख एवं समय	15.07.2026 को 10.00 बजे
ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तारीख एवं समय	14.08.2026 को 18.00 बजे

2. पदों का विवरण-विषयवार

लेवल 5/4

क्र.सं.	खेल का नाम	पुरुष / महिला	इवेंट / पोजीशन	पदों की संख्या
1	एथलेटिक्स (Athletics)	महिला	100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स (बाधा दौड़), 5000 मीटर, 10000 मीटर, 20 किमी रेस वॉकिंग (पैदल चाल), ट्रिपल जंप (तिहरी कूद), हाई जंप (ऊंची कूद)	2
2	फुटबॉल (Football)	पुरुष	स्ट्राइकर, मिडफील्डर, विंगर	1
3	खो-खो (Kho-Kho)	महिला	ऑल-राउंडर, डिफेंडर (रक्षक), अटैकर (आक्रामक)	1
4	वॉलीबॉल (Volleyball)	महिला	यूनिवर्सल, ब्लॉकर, सेटर, अटैकर	1
			कुल पद	5

लेवल 3/2

क्र.सं.	खेल का नाम	पुरुष / महिला	इवेंट / पोजीशन	पदों की संख्या
1	एथलेटिक्स (Athletics)	पुरुष	800 मीटर, 1500 मीटर	1
2	एथलेटिक्स (Athletics)	महिला	100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स (बाधा दौड़), 5000	2

			मीटर, 10000 मीटर, 20 किमी रेस वॉकिंग (पैदल चाल), ट्रिपल जंप (तिहरी कूद), हाई जंप (ऊंची कूद)	
3	बॉक्सिंग (Boxing)	पुरुष	50 किलोग्राम / 70 किलोग्राम	1
4	बॉक्सिंग (Boxing)	महिला	45-48 किलोग्राम / 54 किलोग्राम / 65 किलोग्राम	1
5	साइकिलिंग ट्रैक (Cycling Track)	पुरुष	1 किमी परस्यूट, 4 किमी परस्यूट, इंडिविजुअल स्क्रैच रेस	1
6	फुटबॉल (Football)	पुरुष	स्ट्राइकर, मिडफील्डर, विंगर	1
7	हैंडबॉल (Handball)	महिला	पीपी (पिवट प्लेयर) / सेंटर	1
8	खो-खो (Kho-Kho)	पुरुष	ऑल-राउंडर / डिफेंडर (रक्षक) / अटैकर (आक्रामक)	1
9	खो-खो (Kho-Kho)	महिला	ऑल-राउंडर / डिफेंडर (रक्षक) / अटैकर (आक्रामक)	1
10	कुश्ती - फ्रीस्टाइल (Wrestling - FS)	पुरुष	70 किलोग्राम / 97 किलोग्राम / 57 किलोग्राम	1
11	वॉलीबॉल (Volleyball)	पुरुष	यूनिवर्सल / सेटर / अटैकर / ब्लॉकर	1
12	वॉलीबॉल (Volleyball)	महिला	यूनिवर्सल / सेटर / लिब्रो / अटैकर / ब्लॉकर	2
13	वेटलिफ्टिंग / भारोत्तोलन (Weightlifting)	पुरुष	88 किग्रा, 94 किग्रा, 110 किग्रा, +110 किग्रा	1
14	वेटलिफ्टिंग / भारोत्तोलन (Weightlifting)	महिला	48 किग्रा, 58 किग्रा, 63 किग्रा, 87 किग्रा	1
---	---	---	कुल पद	16

लेवल 1

क्र.सं.	खेल का नाम	पुरुष / महिला	इवेंट / पोजीशन	पदों की संख्या
1	एथलेटिक्स (Athletics)	पुरुष	पीवी (पोल वॉल्ट / बांस कूद), डिस्कस थ्रो (चक्का फेंक), हैमर थ्रो (हथौड़ा फेंक)	2
2	बॉक्सिंग (Boxing)	पुरुष	75 किलोग्राम / 85 किलोग्राम / 90 किलोग्राम / +90 किलोग्राम	3
3	बॉक्सिंग (Boxing)	महिला	57 किलोग्राम / 70 किलोग्राम / 75 किलोग्राम / 80 किलोग्राम	3
4	क्रिकेट (Cricket)	पुरुष	राइट आर्म फास्ट बॉलर (दाहिने हाथ का तेज गेंदबाज) / लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर (बायें हाथ का तेज गेंदबाज)	2
5	साइकिलिंग ट्रैक (Cycling Track)	पुरुष	1 किमी परस्यूट, 4 किमी परस्यूट, इंडिविजुअल स्क्रैच रेस	2
6	फुटबॉल (Football)	पुरुष	स्ट्राइकर, मिडफील्डर, विंगर	2
7	हैंडबॉल (Handball)	महिला	पीपी (पिवट प्लेयर) / सेंटर / लेफ्टी (बाएं हाथ का खिलाड़ी) / ऑल-राउंडर	4

8	हॉकी (Hockey)	पुरुष	फॉरवर्ड / मिडफील्डर	4
9	खो-खो (Kho-Kho)	महिला	ऑल-राउंडर / डिफेंडर (रक्षक) / अटैकर (आक्रामक)	5
10	पावरलिफ्टिंग (Powerlifting)	महिला	47 किग्रा, 52 किग्रा, 60 किग्रा, 69 किग्रा	2
11	कुश्ती - फ्रीस्टाइल (Wrestling - FS)	पुरुष	70 किलोग्राम / 97 किलोग्राम / 57 किलोग्राम	2
12	कुश्ती - ग्रीको रोमन (Wrestling - GR)	पुरुष	130 किलोग्राम / 82 किलोग्राम / 60 किलोग्राम / 55 किलोग्राम	2
13	वॉलीबॉल (Volleyball)	पुरुष	सेटर / लिब्रो / अटैकर / ब्लॉकर	2
14	वेटलिफ्टिंग / भारोत्तोलन (Weightlifting)	पुरुष	88 किग्रा, 94 किग्रा, 110 किग्रा, +110 किग्रा	2
15	वेटलिफ्टिंग / भारोत्तोलन (Weightlifting)	महिला	48 किग्रा, 58 किग्रा, 63 किग्रा, 87 किग्रा	1
---	---	---	कुल पद	38

टिप्पणी: जो आवेदक उच्च पात्रता मानदंड अर्थात स्तर-5/4 या 3/2 को पूरा करते हैं, वे भी स्तर-1 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। जिन खिलाड़ियों की पत्रता लेवल ५/४ की है परंतु लेवल 3/2 के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें लेवल 3/2 में ही माना जाएगा और ट्रायल के समय उन्हें यह लिखित सम्मति देनी होगी कि रेलवे में शामिल होने के बाद वे रेलवे में शामिल होने से पहले की खेल उपलब्धियों के आधार पर उच्च वेतन स्तर का दावा नहीं करेंगे।

यदि किसी विशेष खेल अनुशासन के लेवल 5/4 में रिक्तियां उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जाती हैं, तो ऐसी रिक्तियां उसी अनुशासन से लेवल 3/2 में भरी जाएंगी।

3 पात्रता शर्तें

3.1 आयु सीमा

दिनांक 01.01.2027 के दिन न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तक। केवल दिनांक 01/01/2002 और 01/01/2009 (दोनों दिन शामिल) के बीच पैदा हुए उम्मीदवार ही आवेदन करें। दिनांक 31/12/2001 को या उससे पहले जन्मे उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। इसी तरह, 02/01/2009 को या उसके बाद जन्मे उम्मीदवार भी पात्र नहीं हैं। (किसी भी समुदाय के उम्मीदवार के लिए निचली या ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं है।)

3.2 शैक्षिक योग्यता:

लेवल	शैक्षिक योग्यता
लेवल -5/4	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में न्यूनतम स्नातक।
लेवल -3/2	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (+2 चरण) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक उत्तीर्ण एवं एक्ट एप्रेन्टीसशिप पाठ्यक्रम में सफलता अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक उत्तीर्ण एवं एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा अनुमत आईटीआई।
लेवल -1	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण अथवा आईटीआई अथवा समतुल्य अथवा एनसीवीटी द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी)। ।

टिप्पणी: (1) यदि किसी व्यक्ति को लिपिक-सह-टंकक श्रेणी में नियुक्त किया जाता है, तो उसे नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उस समय तक इस श्रेणी में उनकी नियुक्ति अनंतिम रहेगी।

(2) उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को परीक्षण/दस्तावेज़ सत्यापन के समय स्नातक/स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.3. खेल उपलब्धियां/ पात्रता मानदंड

क) लेवल - 5/4 के लिए

क.	ओलंपिक खेलों (वरिष्ठ श्रेणी) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो
----	--

ख.	विश्व कप (कनिष्ठ/युवा/वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
ग.	विश्व चैंपियनशिप (जूनियर/वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
घ.	एशियाई खेलों (वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
ङ.	राष्ट्रमंडल खेलों (वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
च.	युवा ओलंपिक में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
छ.	चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी) में कम से कम तीसरा स्थान

लेवल - 3/2 के लिए

क.	विश्व कप (जूनियर/युवा/वरिष्ठ श्रेणी) में प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
ख.	विश्व चैंपियनशिप (जूनियर/वरिष्ठ श्रेणी) में प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
ग.	एशियाई खेलों (वरिष्ठ श्रेणी) में प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
घ.	राष्ट्रमंडल खेलों (वरिष्ठ श्रेणी) में प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
ङ.	युवा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व अथवा
च.	चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी) में प्रतिनिधित्व अथवा
छ.	राष्ट्रमंडल खेल चैंपियनशिप (कनिष्ठ/वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
ज.	एशियाई चैंपियनशिप/एशिया कप (कनिष्ठ/वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
झ.	दक्षिण एशियाई फेडरेशन गेम्स (वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
ञ.	यूएसआईसी (विश्व रेलवे) चैंपियनशिप (वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
ट.	विश्व विश्वविद्यालय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
ठ.	वरिष्ठ/युवा/कनिष्ठ श्रेणी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
ड.	भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
ढ.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान अथवा
ण.	फेडरेशन कप चैंपियनशिप (वरिष्ठ श्रेणी) में प्रथम स्थान।

लेवल – 1 के लिए

क.	राष्ट्रमंडल खेल चैंपियनशिप (कनिष्ठ/वरिष्ठ श्रेणी) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
ख.	एशियाई चैंपियनशिप/एशिया कप (कनिष्ठ/वरिष्ठ श्रेणी) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
ग.	दक्षिण एशियाई फेडरेशन (एसएएफ) खेलों (वरिष्ठ श्रेणी) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
घ.	यूएसआईसी (विश्व रेलवे) चैंपियनशिप (वरिष्ठ श्रेणी) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
ङ.	विश्व विश्वविद्यालय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
च.	फेडरेशन कप चैंपियनशिप (वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो अथवा
छ.	मैराथन और क्रॉस कंट्री को छोड़कर समकक्ष इकाई के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो और केवल सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम 8वां स्थान प्राप्त किया हो।
ज.	वरिष्ठ/युवा/कनिष्ठ श्रेणी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम तीसरा स्थान

टिप्पणी

- 1) ऊपर उल्लिखित सभी चैंपियनशिप मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय राज्य संघों के तत्वावधान में आयोजित की जानी चाहिए और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
 - 2) ऊपर उल्लिखित मानदंडों के लिए, केवल सीनियर नेशनल और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को ही ध्यान में रखा जाएगा। ग्रामीण मीट, फेस्टिवल मीट और इसी तरह के अन्य टूर्नामेंट पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - 3) खेल प्रदर्शन का मूल्यांकन 01/04/2024 को या उसके बाद आयोजित खेल आयोजनों में भागीदारी के आधार पर किया जाएगा।
- (3) (i) आर बी ई 118/2025 (दिनांक 24.11.2025) के पैरा (ii) के अनुसार, "भारतीय रेल में स्पोर्ट्स कोटे के तहत भविष्य की सभी भर्तियाँ केवल मान्यता प्राप्त NSF द्वारा जारी किए गए स्पोर्ट्स अचीवमेंट (खेल उपलब्धियों) के सर्टिफिकेट पर आधारित होंगी। ऐसी किसी भी चैंपियनशिप के लिए जारी सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भर्ती नहीं की जाएगी, जो चैंपियनशिप के समय MoYAS द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी।" अगर आवेदन पत्र की जांच-पड़ताल के दौरान रेलवे बोर्ड इस बारे में कोई दिशानिर्देश जारी करता है, तो भर्ती प्रक्रिया के लिए उस फेडरेशन द्वारा जारी सर्टिफिकेट पर विचार किया जाएगा।

3.4 कुछ विषयों के लिए अतिरिक्त स्वीकार्य खेल उपलब्धियों की पात्रता मानदंड नीचे अधिसूचित किए गए हैं:

3.4.1 एथलेटिक्स (पुरुष/महिला)

ओपन नेशनल चैंपियनशिप (सीनियर), इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप (सीनियर) और एशियन चैंपियनशिप (सीनियर) में स्वर्ण पदक विजेता को ग्रेड पे - 2800/2400 में भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले को भी ग्रेड पे - 1900 रुपये (लेवल-2) और पे बैंड - 5200-20200 रुपये वाले पदों पर भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

3.4.2 क्रिकेट (पुरुष)

वेतन स्तर	न्यूनतम खेल मानदंड
स्तर 5/4	2 टेस्ट मैचों / 2 सीमित ओवरों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों / 2 ट्वेंटी-20 ओवरों के मैचों में भारत-ए और भारत अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व
स्तर 3/2	(i) सीनियर/अंडर-23/अंडर-19 अखिल भारतीय अंतर-राज्यीय ग्रुप चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनलिस्ट (प्लेट ग्रुप को छोड़कर) या (ii) सीनियर/अंडर-23/अंडर-19 अखिल भारतीय अंतर-क्षेत्रीय चैंपियनशिप में भागीदारी। या (iii) सीनियर/अंडर-23/अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में भागीदारी।
स्तर 1	सीनियर/अंडर-23/अंडर-19 अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में प्री-क्वार्टर फाइनलिस्ट (प्लेट ग्रुप को छोड़कर)।

3.4.3 हॉकी (पुरुष)

हॉकी (पुरुष) में, ग्रेड वेतन ₹1,900 या ₹2,000 और वेतन बैंड ₹5,200-20,200 वाले पदों पर भर्ती के लिए; चार या अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट (सीनियर या जूनियर) में भागीदारी पर भी विचार किया जा सकता है।

हॉकी (पुरुष) में, सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनलिस्ट को भी ग्रेड वेतन ₹1,900 या ₹2,000 और वेतन बैंड ₹5,200-20,200 के लिए विचार किया जा सकता है।

4 चयन प्रक्रिया

सभी पात्र उम्मीदवारों को ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा और परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन/ ट्रायल के बाद, केवल योग्य उम्मीदवारों (खेल कौशल, शारीरिक फिटनेस और ट्रायल के दौरान कोच के अवलोकन के लिए 40 अंकों में से 25 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले) का ही भर्ती के अगले चरण के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रायल कमेटी द्वारा फिट नहीं घोषित किए गए उम्मीदवारों का भर्ती कमेटी द्वारा आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

4.1 अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा:-

विवरण	अधिकतम अंक
(i) मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए	50 अंक
(ii) खेल कौशल, शारीरिक फिटनेस और ट्रायल के दौरान कोच के अवलोकन के लिए	40 अंक
(iii) शैक्षणिक योग्यता	10 अंक
कुल	100 अंक

4.2 लेवल-5, लेवल-3/2 और लेवल-1 में पद के लिए खुले विज्ञापन खेल कोटा के माध्यम से भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निम्नानुसार हैं:-

क्रम स..	वेतन/लेवल	प्रारंभिक भुगतान(₹)	न्यूनतम योग्यता अंक
1	लेवल – 5/4	29200/- / 25500/-	70 अंक
2	लेवल – 3/2	21700/- / 19900/-	65 अंक
3	लेवल-1	18000/-	60 अंक

टिप्पणी:

नियुक्ति का प्रस्ताव पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। यदि एक से अधिक खिलाड़ी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो योग्यता तय करने के लिए युवा उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. आवेदन शुल्क:

(i)	नीचे उप-पैरा (ii) में उल्लिखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए	500/- रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) तथा अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाने वाले तथा वास्तव में ट्रायल में शामिल होने वाले व्यक्तियों को बैंक शुल्क काटने के बाद 400/- रुपये (चार सौ रुपये मात्र) वापस करने का प्रावधान है।
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग व्यक्ति/महिला/अल्पसंख्यक* और आर्थिक पिछड़े वर्ग** से संबंधित उम्मीदवारों के लिए	रु. 250/- (केवल दो सौ पचास रुपये) का शुल्क बैंक शुल्क काटने के बाद उन उम्मीदवारों को वापस करने का प्रावधान है जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में ट्रायल में शामिल होते हैं। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए। जो उम्मीदवार अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी आवेदन करते हैं, उन्हें शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

5.1 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा।

5.2 आवेदन पत्र में विवरण की सत्यता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद कोई परिवर्तन / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.3 भुगतान स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।

5.4 शुल्क भुगतान लेनदेन के सफल समापन पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तारीख के साथ ई-रसीद तैयार की जाएगी जिसे उम्मीदवार द्वारा सहेजा / प्रिंट किया जाना चाहिए और संभालकर रखा जाना चाहिए।

5.5 यदि ऑनलाइन शुल्क भुगतान का लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो कृपया फिर से ऑनलाइन भुगतान करें।

6 शुल्क छूट:

क) आवेदन शुल्क से छूट/वापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को चयन परीक्षाओं के समय अनुलग्नक-‘क’ में उल्लिखित ‘स्व-घोषणा’ प्रस्तुत करनी चाहिए। *अल्पसंख्यकों का अर्थ है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी।

आवेदन शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर ‘अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा’ हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित हैं।

ख) ** आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का अर्थ उन उम्मीदवारों से होगा जिनकी पारिवारिक आय 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा सांसद।
- (3) बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।
- (4) केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।
- (5) राज्य सभा के मौजूदा संसद सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद आमतौर पर रहते हैं।

चयन परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन/ ट्रायल के समय उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अनुलग्नक-बी में प्रस्तुत करना होगा।

7 ऑनलाइन आवेदन

7.1 उम्मीदवारों को www.rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

7.2 उम्मीदवारों को खेल कोटे के तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आरआरसी/सीआर वेबसाइट www.rrccr.com पर लॉग ऑन करना होगा और व्यक्तिगत विवरण/बायोडेटा आदि सावधानीपूर्वक भरना होगा।

टिप्पणी-I: उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण के समय, उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास आधार नंबर नहीं है और जिन्होंने आधार के लिए नामांकन किया है, लेकिन उन्हें आधार कार्ड नहीं मिला है, वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों का आधार कार्ड नामांकन आईडी प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपर्युक्त प्रावधान जम्मू और कश्मीर, मेघालय और असम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों पर लागू है। इन राज्यों के आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में अपना वोटर आईडी नंबर / वैध पासपोर्ट नंबर / ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र नंबर दर्ज कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को चयन परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन /ट्रायल के समय मूल आधार कार्ड या ऊपर उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी-II: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि शैक्षिक योग्यता और खेल प्रमाणपत्रों में दर्ज की गई जानकारी से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाए गए किसी भी विचलन से इस अधिसूचना के लिए उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। यदि उम्मीदवार ने अपना नाम बदल लिया है तो चयन परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन के समय गजट अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपना बदला हुआ नाम बताना चाहिए। हालांकि, अन्य विवरण शैक्षिक/जन्म तिथि/खेल प्रमाणपत्रों से मेल खाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।

टिप्पणी-III: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी बताएं तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें सक्रिय रखें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संदेश ई-मेल/एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवारों द्वारा पढ़ लिया गया माना जाएगा।

7.3 जो उम्मीदवार एक ही विषय के लिए अलग-अलग विवरण जैसे नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो (चेहरा)/शैक्षणिक और/या तकनीकी योग्यता आदि या अलग-अलग ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर के

साथ एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करेंगे, उन्हें सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

- 7.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान, प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों/आरआरसी के साथ पत्राचार के लिए अपने पंजीकरण नंबर को सुरक्षित रखें/टिप्पणी कर लें।

टिप्पणी-1: अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें, ताकि अंतिम दिनों में इंटरनेट पर भारी लोड या वेबसाइट जाम होने के कारण आरआरसी/मध्य रेल की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में संभावित असमर्थता/असफलता से बचा जा सके।

टिप्पणी-2: आरआरसी/मध्य रेल उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

- 7.5 उम्मीदवार को डाक द्वारा आरआरसी मध्य रेल को कोई भी आवेदन प्रिंटआउट या प्रमाण पत्र या प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार की उम्मीदवारी केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही मानी जाएगी, जो बाद में सत्यापन के अधीन है। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन में किसी भी विशेष क्षेत्र में पाया गया कोई भी विचलन, किसी भी स्तर पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर देगा।

- 7.6 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले लें, जिसे चयन परीक्षण के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8 स्कैन की गई तस्वीर/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपनी रंगीन तस्वीर (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी-70 केबी के बीच होना चाहिए) अपलोड करनी होगी, जिसमें उम्मीदवार के सामने का दृश्य स्पष्ट हो, बिना टोपी और धूप का चश्मा पहने। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी/मध्य रेल किसी भी स्तर पर पुरानी/अस्पष्ट तस्वीर अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड की गई तस्वीर और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक उपस्थिति के बीच किसी भी महत्वपूर्ण भिन्नता के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी

जाती है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन के समय बाद में लाने के लिए उसी तस्वीर की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास रखें।

9 स्कैन किए गए हस्ताक्षर/हस्ताक्षर की छवि की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपना हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा (आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी, जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए)। स्कैन किए गए हस्ताक्षर अंग्रेजी या हिंदी में और रनिंग हैंडराइटिंग में होने चाहिए और ब्लॉक / कैपिटल या अलग-अलग अक्षरों में नहीं होने चाहिए।

10 सहायता डेस्क

आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने और मुद्रण में किसी भी समस्या के लिए, उम्मीदवार केवल कार्य दिवसों में helpdeskcr2025@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं।

11 महत्वपूर्ण निर्देश

11.1 आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए:- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार अन्यथा पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

11.2 परीक्षण/दस्तावेज़ सत्यापन/ट्रायल के दिन जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और खेल उपलब्धि आदि के मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके बिना उन्हें ट्रायल में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी/हिंदी में सत्यापित अनुवाद होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्व-सत्यापित होनी चाहिए। चयन ट्रायल में शामिल होने के लिए कोई टीए/डीए/आवास नहीं दिया जाएगा। आवेदकों को अपना किट और चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी साथ लाने होंगे। उन्हें चयन ट्रायल के दौरान 2-3 दिन तक रुकना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें खुद ही व्यवस्था करनी होगी। रेलवे प्रशासन के पास कोई भी तिथि/स्थान तय करने या ट्रायल स्थगित करने या अप्रत्याशित कारणों से रद्द करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है, जिसके खिलाफ कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.3 उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद कम समय में ट्रायल आदि के लिए

उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को मध्य रेल में कहीं भी पोस्ट किया जाएगा।

- 11.4 सामान्यतः, रेल कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के दौरान उसी रेल या रेल प्रतिष्ठान में कार्यरत रहेगा, जिसमें वह पहली नियुक्ति पर तैनात है और उसे किसी अन्य रेलवे या प्रतिष्ठान में स्थानांतरण का कोई अधिकार नहीं होगा। हालांकि, सेवा की अनिवार्यताओं के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को रेल कर्मचारी को भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या मंडल/यूनिट या रेल या रेल प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी।
- 11.5 चयनित उम्मीदवारों को पद के लिए जहां भी प्रशिक्षण निर्धारित है, वहां प्रशिक्षण लेना होगा। अंतिम रूप से नियुक्त चयनित पुरुष उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।
- 11.6 प्रारंभिक नियुक्ति पर पारिश्रमिक उस समय स्वीकार्य वेतन स्तर के न्यूनतम वेतन और अन्य भत्ते होंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू वेतन दिया जाएगा। उम्मीदवारों को जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा जमा राशि देनी पड़ सकती है और क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना होगा।
- 11.7 इस अधिसूचना में दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और रेल प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बाद में यह घट सकती है या शून्य भी हो सकती है। रेल प्रशासन अपने विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों के रद्द होने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 11.8 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट, शैक्षणिक और सामुदायिक प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- 11.9 उम्मीदवारों को उन्हें आबंटित पद के लिए उपयुक्त मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- 11.10 एक से अधिक खेल/इवेंट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अलग-अलग शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अभियार्थियों को अलग से सभी परीक्षाओं में उपस्थित रहना होगा।
- 11.11 वे उम्मीदवार, जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संगठनों की सेवा में हैं और उपरोक्त के लिए पात्र हैं, उन्हें परीक्षण के समय अपने नियोक्ता से इसके लिए “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना चाहिए।
- 11.12 भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवार का प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन पूरी तरह से अनंतिम होगा। उम्मीदवार को केवल बुलावा पत्र जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मंजूर हो गई है।
- 11.13 लेवल 5/4 के लिए खेल मानदंड रखने वाले तथा लेवल 3/2 के लिए रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, रेल में शामिल होने से पहले खेल उपलब्धियों के आधार पर रेल में शामिल होने के बाद वह लेवल 5/4 के लिए दावा नहीं कर सकेगा।

11.14 मान्यता प्राप्त संगठनों/संघों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी टीम/समूह/रिले स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र में इस भर्ती के लिए विचाराधीन स्पर्धा में खेल के मैदान में उनकी वास्तविक भागीदारी का स्पष्ट संकेत होना चाहिए। मैचों का विवरण तथा परिणाम, यदि कोई हो, भी दिया जाना चाहिए।

11.15 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय 5 वर्ष का "सेवा बांड" जमा करना होगा।

11.16 खेल कोटे के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यदि भर्ती के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत/फर्जी पाए जाते हैं।

11.17 उम्मीदवारों को रोजगार के लिए तभी चुना जाएगा, जब वे मध्य रेल स्पोर्ट्स एसोसिएशन टीम के लिए फिट होंगे।

11.18 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में चयन समिति/प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

12 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (पठनीय होने चाहिए)

12.1 अधिसूचना के पैरा 3.2 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंक पत्र/प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष की स्कैन की गई प्रति।

12.2 01/04/2024 को या उसके बाद आयोजित मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धि के प्रमाण में प्रमाण पत्र।

12.3 जन्म तिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (एसएससी प्रमाण पत्र या जन्म तिथि दर्शाने वाली मार्कशीट या जन्म तिथि दर्शाने वाला स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।

12.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, जहां भी लागू हो, जैसा कि नीचे पैरा 14.3 में निर्धारित है।

13 अमान्य आवेदन / अस्वीकृतियां

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें; अन्यथा उनका आवेदन निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से अस्वीकृत हो सकता है::

13.1 बिना स्कैन किए हस्ताक्षर के आवेदन/बड़े अक्षरों में स्कैन किए गए हस्ताक्षर।

13.2 बिना स्कैन किए गए फोटोग्राफ वाले आवेदन।

13.3 स्कैन किए गए फोटोग्राफ के साथ आवेदन, लेकिन गॉगल्स पहने हुए या टोपी के साथ या विकृत/छोटे आकार या पहचान में न आने वाला।

13.4 आवेदन जमा करने की तिथि पर पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और खेल योग्यता न रखना।

13.5 अधिक आयु या कम आयु, जन्मतिथि नहीं भरी गई या गलत भरी गई।

13.6 उम्मीदवार का नाम वंचित सूची में होना।

13.7 एक ही पद के लिए कई आवेदन/विभिन्न विवरण।

13.8 बिना आवेदन शुल्क के आवेदन, 500/- या 250/- रुपये, जहाँ भी लागू हो या कम शुल्क।

13.9 दो या अधिक इवेंट/खेलों के लिए एकल आवेदन।

13.10 किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता।

13.11 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भर्ती समिति/ट्रायल समिति के किसी सदस्य या किसी रेल अधिकारी को प्रभावित करने, उन पर दबाव डालने, उनसे प्रचार-याचना करने या उनसे संपर्क करने की उम्मीदवार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की गई किसी भी कोशिश के परिणामस्वरूप उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी; साथ ही, प्रशासन द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य कदम पर भी विचार किया जा सकता है।

14 सामान्य शर्तें:

14.1 किसी भी तरह का प्रचार करने पर उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

14.2 उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रारूप में उचित प्राधिकारी से उचित प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और चयन परीक्षण के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों के सत्यापन पर ब्रोशर (भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 13 के अनुसार यह सख्त आवश्यक है।

14.3 यदि शुल्क छूट की प्रतीक्षा है तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में तहसीलदार के पद से नीचे नहीं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड की जानी चाहिए। प्रमाण पत्र में जाति, जारी करने की तिथि आदि होनी चाहिए और जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक 'ग' के रूप में संलग्न है और ओबीसी के लिए 'अनुलग्नक डी'।

15 अन्य मामले

15.1 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चयन (DV)ट्रायल के समय उसे अपने डाउनलोड किए गए आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भर्ती के अगले चरण में किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा और आरआरसी/मध्य रेल को भर्ती के किसी भी चरण में पात्रता शर्त/शर्तों को पूरा न करने वाले किसी भी

आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।

15.2 रेल प्रशासन द्वारा उम्मीदवार का चयन उम्मीदवार को पद के लिए कोई निर्धारित अधिकार प्रदान नहीं करता है।

15.3 यदि पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उम्मीदवार को अपने हित में पुराने पते से नए पते पर संचार को पुनः निर्देशित करने के लिए संबंधित डाकघर से व्यवस्था करनी चाहिए।

15.4 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, निःशुल्क पास जारी करना, गलत सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, ट्रायल का संचालन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार रेल प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15.5 डाक में देरी या गलत डिलीवरी के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। ई-मेल या एसएमएस की डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। उम्मीदवारों को अपने स्पैम ई-मेल फ़ोल्डरों की भी जांच करनी चाहिए।

15.6 नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को चयनित पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।

15.7 रेल प्रशासन भर्ती के किसी भी चरण में अनजाने में हुई गलती या चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है और गलत तरीके से नियुक्त किसी भी उम्मीदवार को रेल सेवा से तुरंत हटाया जा सकता है।

15.8 व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

15.9 मौजूदा नियमों के अनुसार इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों में कोई भी बाद में किया गया परिवर्तन मान्य होगा। आरआरसी इस अधिसूचना के तहत भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि आवश्यक और लागू हो।

15.10 उम्मीदवारों को यह घोषित करना चाहिए कि:

1. वह नाडा या वाडा द्वारा डोपिंग के किसी भी चल रहे या लंबित मामले में नहीं है
2. परीक्षण के दौरान यदि कोई बड़ी या छोटी चोट लगती है तो रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
3. मैं यह स्वीकार करता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, मैं भर्ती समिति/ट्रायल समिति के किसी भी सदस्य या किसी भी रेलवे अधिकारी को प्रभावित करने, उन पर दबाव डालने, उनसे समर्थन मांगने या उनसे संपर्क करने का काम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करूँगा।

नोट: चूंकि यह भर्ती खेल कोटे के अंतर्गत है, इसलिए रेलवे प्रशासन नाडा/वाडा नियमों के तहत डोपिंग अपराधों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, चाहे वह आवेदन करने से पहले हो या मध्य रेलवे में शामिल होने के बाद।

16. कानूनी मामलें

इस रोजगार सूचना से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मामला केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुंबई के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएगा।

17. महत्वपूर्ण सलाह

रेल भर्ती सेल, मध्य रेल ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी व्यक्ति/एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के बहकावे में न आएं।

टिप्पणी: खेल कोटे के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को कम से कम 5 वर्षों तक अपने खेल के क्षेत्र में प्रदर्शन करना होगा। सेवा के पहले दो वर्षों (परिवीक्षा अवधि) के दौरान उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि प्रदर्शन मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

लोक सेवा में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक गंभीर मामला है। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी गंभीरता से लें। आवेदकों द्वारा गलत जानकारी देकर या अश्लील/आपत्तिजनक फोटो या सामग्री अपलोड करके प्रक्रिया में हेराफेरी करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा और उन पर अन्य प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

**अध्यक्ष
रेल भर्ती प्रकोष्ठ,
मध्य रेल**

दस्तावेज संलग्न : अनुलग्नक 'क', 'ख', 'ग' और 'घ'

अनुलग्नक 'क'

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि मैं,, मेरा धर्म है जो अल्पसंख्यक समुदाय है। इसलिए, मैं आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट चाहता हूँ। यदि मैं उपयुक्त पाया जाता हूँ, तो मैं दस्तावेजों के सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" हलफनामा जमा करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर:

नाम:

दिनांक: _

स्थान:

अनुलग्नक 'ख'

दिनांक 28/10/2009 के पत्र संख्या ई (आरआरबी)/2009/25/21 के पैरा 3 के अनुसार लेटर हेड पर जारी किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी.) के लिए परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में छूट हेतु वर्ष 2024-2025 के लिए आय प्रमाण पत्र।

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. उम्र :
4. आवासीय पता :
5. वार्षिक पारिवारिक आय :
(अंकों और शब्दों में)
6. . जारी करने की तारीख :
7. जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर : _____

(जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम)

जारीकर्ता प्राधिकारी की मोहर

अनुलग्नक-‘ग’

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री
निवासी ग्राम/कस्बा जिला/संभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के
जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति/) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति/) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति/) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति/) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुस्तगठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976* द्वारा संशोधित।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962 @

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 @

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968 @

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978 @ 21

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978 @

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989 @

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002।
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002।
 संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002।
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007।
 % 2 . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू, जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से स्थानांतरित हो गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*	के पिता/माता	श्री/श्रीमती
निवासी	ग्राम/कस्बा*	जिला/संभाग*
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	को जारी

किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है, जो जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं जो दिनांक द्वारा जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा जिला/संभाग* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहता है।

हस्ताक्षर

*पदनाम

(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान:

दिनांक:

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें

% जो पैराग्राफ लागू नहीं है उसे हटा दें।

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त सामान्यतः निवास (ओं) शब्द का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

*जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारियों की सूची:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उपायुक्त/उप

कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मेजिस्ट्रेट।

- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
 - (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
 - (iv) उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
- टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय जाति अधिकारी से प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।

अनुलग्नक 'डी'

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
..... श्री/श्रीमती के पुत्र/पुत्री
..... गांव के/ नगर*
..... जिले में
राज्य का है समुदाय जिसे के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में
मान्यता प्राप्त है।: (उप-जाति को दर्शाता है)

- 1) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितंबर 1993, भारत के राजपत्र-असाधारण-भाग 1 खंड 1, संख्या 186 दिनांक 13 सितंबर 1993 में प्रकाशित।
- 2) संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित।
- 3) संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई 1995, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित।
- 4) संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर 1996, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 210 दिनांक 11 दिसंबर 1996 में प्रकाशित।
- 5) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 129 दिनांक 8 जुलाई 1997।
- 6) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी-असाधारण संख्या 164 दिनांक 1 सितंबर 1997।
- 7) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी - असाधारण संख्या 236 दिनांक 11 दिसंबर 1997।
- 8) संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 239 दिनांक 3 दिसंबर 1997।

9) संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 166 दिनांक 3 अगस्त 1998।

10) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 171 दिनांक 6 अगस्त 1998।

11) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी-असाधारण संख्या 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999।

12) संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 270 दिनांक 6 दिसंबर 1999।

13) संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000।

श्री/श्रीमती/कुम*.....

और/या उसका/उसका *परिवार आमतौर पर में रहता है।

जिले के । राज्य। यह भी प्रमाणित किया

जाता है कि वह* कॉलम 3 (भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुसूची के कार्यालय ज्ञापक 36012/22/93- में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। स्था (एससीटी) दिनांक 8/9/1993) और भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित। संख्या 36033/3/2004/स्था.(आरईएस) दिनांक 09.03.2004।

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

जिला अधिकारी/

उप. आयुक्त आदि

(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान

दिनांक

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

क) "आम तौर पर निवास करते हैं" शब्द का वही अर्थ होगा जो लोगों के प्रतिनिधित्व की धारा 20 में है। अधिनियम, 1950।

ख) जहां प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं, वे एक ही रूप में होने चाहिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट या उप द्वारा²⁴ प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। आयुक्त (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त द्वारा प्रमाणित पर्याप्त नहीं हैं)

ग) केवल अधिकारियों से ओबीसी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा: -

1 जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उपायुक्त।
कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा
मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)/* उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी
मजिस्ट्रेट।

2 मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

3 राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों।

उस क्षेत्र के

4 अनुमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।